

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर

(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103007002014

दांडिक प्रकरण क.-739 / 14

संस्थापित दिनांक-16.12.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। .....अभियोजन	
विरुद्ध	
01-सुनील पुत्र राजाराम कोली उम्र 24 साल निवासी वलमपुर थाना प्रेमनगर, झांसी उ०प्र०। .....आरोपी	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री योगेंद्र जैन अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 16.03.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 323, 504, 324 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 504 के आरोप से दोषमुक्त किया जा

चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 324 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी धर्मेन्द्र ने दिनांक 09.06.14 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को उसने अपने साडू भाई सुनील से पूछा कि उसका मोबाइल व जेवर कहां रख दिए हैं, मिल नहीं रहे तो उसने कहा कि पता नहीं और उसे गालियां देने लगा एवं मारने पड़ा जिससे उसे भुजा पर खरोंच आई। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 478/14 के अंतर्गत भादवि की धारा 323, 504, 324 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 504, 324 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 09.06.14 को समय शाम 5.00 बजे या उसके लगभग थाना चंदेरी नयापुरा चंदेरी स्थित परिवादी के घर के पास लोकस्थल पर परिवादी/आहत धर्मेन्द्र को धारदार वस्तु से स्वेच्छया उपहति कारित की ?

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 धर्मेन्द्र की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 धर्मेन्द्र ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को

जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को उसका आरोपी से वाद—विवाद हो गया था जिस पर से उसने आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध करा दी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी द्वारा उसे लोहे की धारदार वस्तु से मारा गया था। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 03 का ए से ए भाग पुलिस को देने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी से यह प्रमाणित नहीं होता कि घटना दिनांक को आरोपी द्वारा लोहे की धारदार वस्तु से फरियादी के साथ मारपीट की गई थी।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 324 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)